

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

पीठारीन अधिकारी-श्री नीरज मिश्र, आर.ए.एस

राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार अभियान-2018 अटल सेवा केन्द्र महाबार

क्रमांक सीडर/2018/711

दिनांक - 28/05/18

प्रार्थीगण

बनाम

विप्रार्थीगण

1. चेलाराम पुत्र केशनलाराम वगैराह जाति जाट निवासी कुर्जा तहसील व जिला बाड़मेर।

1. मूलाराम पुत्र हरदान वगैराह जाति जाट निवासी मुरटालागाला तहसील व जिला बाड़मेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128,111 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, करने नेखमबन्दी बाबत राजस्व आवेदन संख्या :-90/2018

दिनांक-22.05.2018

आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा मुरटालागाला पटवार क्षेत्र महाबार तहसील व जिला बाड़मेर के खेत खसरा नम्बर 1982/831, खसरा नम्बर 1984/831 एवं खसरा संख्या 2001/840 कुल रकबा 269.10 बीघा भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थीगण व विप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नहीं करने बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 07.09.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीश्नर शुल्क रूपये 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थीगण द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।

(नीरज मिश्र)
उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर

दिनांक- 28/05/18

क्रमांक :- सीडर/2018/712-11

प्रतिबिधि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. तहसीलदार बाड़मेर पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी महाबार तहसील बाड़मेर को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी चेलाराम पुत्र केशनलाराम वगैराह जाति जाट निवासी कुर्जा तहसील व जिला बाड़मेर।
4. विप्रार्थी मूलाराम पुत्र हरदान वगैराह जाति जाट निवासी मुरटालागाला तहसील व जिला बाड़मेर।

उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर